# कार्यालय–निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

## : : परिपत्र : :

मिड डे मील योजना भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है, जो बच्चों के पोषण स्तर में वृद्धि, पिछड़े वर्ग एवं कमजोर आर्थिक पृष्ठभूमि के बच्चों में शिक्षा के प्रति प्रोत्साहन, नामांकन वृद्धि, विद्यार्थियों के विद्यालय में ठहराव एवं लिंग, धर्म व जाति आधारित असमानता को दूर करने में महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। राज्य में इस महत्वपूर्ण योजना के प्रभावी, पारदर्शी एवं बेहतर क्रियान्वयन हेतु समय–समय पर निरीक्षण करवाए जाते हैं। इस क्रम में योजना के मूल्यांकन हेतु जिला स्तर पर विभिन्न अधिकारियों द्वारा मासिक निरीक्षण, मूल्यांकन संस्थाओं द्वारा योजना का पर्यवेक्षण एवं सघन निरीक्षण करवाए जाते हैं। विभिन्न स्तरों पर आयोजित इन निरीक्षण कार्यक्रमों की रिपोर्ट का आकलन किए जाने पर मुख्यतः भोजन की गुणवत्ता, खाद्यान्न के रख–रखाव, साफ–सफाई इत्यादि के सम्बन्ध में कमियां एवं लापरवाही बरती जाने के तथ्य उजागर हुए हैं। उक्त कमियों के निराकरण एवं भविष्य में मिड डे मील योजना के सजगत्तापूर्वक संचालन के लिए समस्त संस्था प्रधानों एवं विद्यालय स्टाफ के स्तर पर सावधानीपूर्वक सम्पादित की जाने वाली कार्यवाही हेतु एतद् द्वारा निर्देश प्रदान किए जाते हैं:–

1. **मिड डे मील का गुणवत्तापूर्ण न होना** :– मिड डे मील की गुणवत्ता एवं पौष्टिकता सुनिश्चित किए जाने के लिए भारत सरकार के दिशा–निर्देशों के अनुसार ही भोजन में खाद्यान्न, दाल, मसाले एव तेल की निर्धारित मात्रा उपयोग में ली जावे। साथ ही इनकी गुणवत्ता का भी विशेष रूप से ध्यान रखा जावे।
2. **मिड डे मील में स्वच्छता एवं सुरक्षा का अभाव** :– विद्यालय में मिड डे मील पकाते समय मिड डे मील की स्वच्छता एवं सुरक्षा का भी विशेष ध्यान रखा जाना आवश्यक है। यह सुनिश्चित किया जाए कि मिड डे मील विद्यार्थियों के लिए पूर्ण स्वच्छता एवं सुरक्षा के साथ तैयार/वितरित किया जा रहा है।
3. **खाद्यान्न के उचित रख–रखाव का अभाव** :– खाद्यान्न के उचित रख–रखाव हेतु इन्हें लोहे के बड़े ड्रमों में जमीन से कुछ ऊपर व दीवारों से दूर रखा जावे, जिससे जीव–जन्तु एवं अन्य कीड़ों–मकोड़ों (चूहे, इल्लियां व अन्य कीट) से सुरक्षित रखा जा सके। साथ ही जहां पर खाद्यान्न रखा जावे, उस स्थान पर वेन्टीलेशन की पर्याप्त व्यवस्था हो, जिससे नमी के कारण अनाज के खराब होने की समस्या से बचा जा सके।
4. **विद्यालय/रसोईघर में साफ–सफाई की व्यवस्था का अभाव** :– प्रत्येक विद्यालय एवं रसोई घर की साफ–सफाई आवश्यक रूप से सुनिश्चित की जावे। इसकी प्रतिदिन स्वयं संस्था प्रधान द्वारा मॉनिटरिंग की जावे एवं सफाई सुनिश्चित करने हेतु विद्यालय में गठित बाल संसद की भी आवश्यकतानुसार मदद ली जावे।
5. **पेयजल की व्यवस्था ठीक नहीं होना** :– प्रत्येक विद्यालय में भोजन बनाने एवं विद्यार्थियों के पीने हेतु उपलब्ध पानी की गुणवत्ता हाइजेनिक मानदण्डों के अनुसार पूर्णतः शुद्ध हो, यह सुनिश्चित किया जाए ताकि विद्यार्थियों को पूर्ण रूप से स्वच्छ मिड डे मील एवं स्वच्छ पेयजल मिल सके।
6. **भोजन निर्माण में चौकसी** :– कुक कम हैल्पर द्वारा भोजन के निर्माण एवं विद्यार्थियों को मध्यान्ह अवकाश में भोजन परोसते समय सम्बन्धित प्रभारी अध्यापकों द्वारा पूर्ण चौकसी बरती जाए तथा ध्यान रहे कि भोजन निर्माण के समय छिपकली, कीट–पतंगे इत्यादि उसमें न गिर जाए। विद्यार्थियों को समय पर पूर्ण ताजा, स्वच्छ, स्वास्थ्यवर्धक तथा निर्धारित मीनू के अनुसार पौष्टिक भोजन परोसा जाना सुनिश्चित किया जाए। भोजन से पूर्व विद्यार्थियों में हाथ धोने एवं भोजनोपरान्त हाथ धोने, मुँह–दाँतों की भली प्रकार से

सफाई किए जाने की प्रवृत्ति विकसित की जाने की ओर विशेष ध्यान दिया जाए । साथ ही किचन, काम में लिए जाने वाले बर्तन एवं भोजन स्थल की नियमित एवं उचित प्रकार से साफ–सफाई की व्यवस्था की जानी भी सुनिश्चित करावें ।

7. **चार दीवारी रहित विद्यालयों में सावधानी** :– कतिपय समाचार पत्रों में तस्वीरें प्रकाशित हुई है, जिसके अनुसार चार दीवारी विहीन विद्यालयों में विद्यार्थियों के मध्यान्ह अवकाश के दौरान भोजन करते समय आस–पास कुत्ते घूम रहे हैं तथा विद्यार्थियों के समक्ष अवांछित छीना–झपटी जैसी स्थितियां दुष्टिगोचर हो रही है। इस प्रकार की स्थितियां अत्यन्त खेद जनक है तथा संस्था प्रधान व विद्यालय स्टाफ की राजकीय पदीय कर्त्तव्य के प्रति उदासीनता व विद्यार्थियों के प्रति संवेदनशीलता की भावना के अभाव को रेखांकित करती है।

अतः इस प्रकार के समस्त विद्यालय जो चारदीवारी के अभाव अथवा चार दीवारी के टूटी हुई होने/छोटी होने/ अन्य किसी कारण से आवारा जानवरों के आवागमन की समस्या से ग्रस्त हो, इस समस्या के प्रभावी निराकरण हेतु संस्था प्रधानों द्वारा व्यक्तिगत रूचि लेकर जिला शिक्षा अधिकारी/राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के जिला कार्यालय से तत्काल सम्पर्क कर चार दीवारी निर्माण/मरम्मत के प्रस्ताव तैयार करवाने की कार्यवाही सम्पादित की जावे। साथ ही उक्तानुसार निर्मित प्रस्तावों की स्वीकृति प्राथमिकता से प्रदान किए जाने हेतु जिला शिक्षा अधिकारी/जिला परियोजना समन्वयक, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान द्वारा आवश्यक कदम उठाया जाना सुनिश्चित किया जाए। समस्त संस्था प्रधानों एवं विद्यालय स्टाफ द्वारा किसी भी स्थिति में इस प्रकार के अप्रिय एवं अशोभनीय प्रकरण घटित न हो, उक्त बाबत पुख्ता कार्यवाही सुनिश्चित की जावे। भविष्य में इस प्रकार के उदाहरण सामने आने पर सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा सम्पूर्ण विद्यालय स्टाफ के विरूद्ध कठोर अनुशासनिक कार्यवाही अमल में लाई जानी सुनिश्चित की जाए।

**समस्त सम्बन्धितों द्वारा उपर्युक्त निर्देशों की क्रियान्विति सर्वोच्च प्राथमिकता से सुनिश्चित की जाए।**

निदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

(बी.एल. स्वर्णकार)
आई.ए.एस.
निदेशक,माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक–शिविरा/माध्य/मा–स/22473/मिड डे मील/2014–17/ दिनांक : 09/03/17

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. परियोजना निदेशक, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद् , शिक्षा संकुल, जयपुर ।
3. उपायुक्त(क्रिया. एवं मोनि.), आयुक्तालय, मिड–डे–मील योजना, राजस्थान, जयपुर।
4. समस्त मण्डल उप निदेशक, प्रारंभिक/माध्यमिक शिक्षा को क्षेत्राधिकार में निर्देशों की पालना के लिये समुचित पर्यवेक्षण एवं प्रबोधन हेतु।
5. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारंभिक/माध्यमिक–प्रथम/द्वितीय को अधीनस्थ संस्था प्रधानों को निर्देशों की सुनिश्चित क्रियान्विति के लिए पाबन्द किए जाने हेतु।
6. सिस्टम एनालिस्ट, कार्यालय हाजा को विभागीय वेब साईट पर अपलोड एवं समस्त माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों के ई–मेल पते पर प्रेषित करने हेतु।
7. वरिष्ठ सम्पादक–शिविरा, कार्यालय हाजा को शिविरा के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ।
8. समस्त अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान ।
9. स्टाफ ऑफिसर, कार्यालय हाजा।
10. रक्षित पत्रावली।

उप निदेशक (माध्यमिक)

कार्यालय का पता :– निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,बीकानेर ☎0151–2544043
Email : ad.secondary.dse@rajasthan.gov.in Fax No.- 0151-2201861